न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)
बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – 11/20

24.06.2020

निर्णय दिनांक 26/6/2020

बउनवान

1. वीरभान पुत्र मांगी लाल जाति बंजारा निवासी नयागॉव

बनाम

1. गीताबाई पत्नी बाबूलाल जाति बंजारा निवासी नयागाव तह कनवास जिला कोटा

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास

प्रार्थना पत्र धारा 111 ,128,129

निर्णय

प्रार्थी वीरभान द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते पैमाईश कर सीमा चिन्हित कर पत्थरगडी करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 111, 128, 129, पेश किया गया। प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते की एवं कब्जे काश्त की आराजी मालग्राम नयागॉव पटवार हल्का धूलेट मे खाता संख्या 156 के खसरा न. 790 की रकबा 0.51 है0 आराजी अन्य सह खसरा नम्बरान के साथ स्थित है जो परिवारिक मौखिक बॅटवारा के अनुसार वादी के हिस्से मे आई है तथा वादी ही उस पर बदस्तुर काबिज होकर कास्त करता आ रहा है खसरा न. 790 की रकबा 0.51 है0 से लगवा ही अप्रार्थी के खाते की खसरा न. 788 की रकबा 1.62 है0 आराजी स्थित है, जो अप्रार्थी को प्रार्थी के पिता के द्वारा विकय की गई थी।

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

... आराजी पर जाने हेतु

प्रार्थी मजदूर पेशा व्यक्ति बाहर चला जाता है ऐसे मे पीछे से अप्रार्थी ...यतिपूर्वक प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य सीमा चिन्ह वाली मेड को तोडकर ...र्थी की ओर जमीन हॉक लेती है कहने पर लडाई झगडे पर उतारू होते है ...नो के मध्य की मेड तोड दी है। तथा दोनो के मध्य सीमा विवाद पैदा कर दिया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से कई मर्तबा पेमाईश करावाकर पत्थरगढी करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी के द्वारा सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने से साफ मना कर दिया अप्रार्थी को सिर्फ प्रार्थी के पिता द्वारा विक्रय की गई खसरा न. 788 की रकबा 1.62 है0 आराजी को काश्त करने का अधिकार है उसमे अधिक आराजी पर अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार हासिल नही होते है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.06.2019 को पेमाईश हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार कनवास को पेश करने के उपरान्त पटवारी, भू–अभिलेख निरिक्षक पेमाईश करने पहुचे तो लडाई झगडा किया तथा पटवारी हल्का ने महिला होने के कारण बिना सुरक्षा बन्दोबस्त पेमाईश किया जाना संभव नही है का अंकन मौका पर्चा पर किया। कई मर्तबा तहसील कार्यालय मे चक्कर लगाने के बावजूद पुलिस इमदाद मे सीमाज्ञान नही करवाया गया है इससे व्यथित होकर श्रीमान के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये अप्रार्थी की ओर से पति बाबूलाल उपस्थित हुआ प्रार्थी वीरभान मय अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी के पिता द्वारा बेची गई खसरा न. 788 1.62 है0 भूमि से ज्यादा पर कब्जा कर लिया है जिसे पैमाईश करा कर पत्थरगढी करवाई जावे। अप्रार्थी को सुना गया।

अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त ख.न. 788 की 1.62 है0 भूमि मेने प्रार्थी के पिता से खरीदी थी। उससे अधिक भूमि पर मेरा कोई कब्जा नही है किन्तु यदि श्रीमान पैमाईश कर पत्थरगढी के आदेश देते है तो मे पेमाईश एवं

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

पत्थर गढी के लिए तैयार है। साथ ही मुझे खरीद शुदा आराजी पर जाने हेतु रास्ता प्रार्थी की आराजी मे से दिया जाता है तो मे पत्थरगढी एवं पैमाईश हेतु तैयार हूँ लोक अदालत की भावना से प्रार्थी एवं उनके अभिभावक द्वारा समझाइश की गई जिसमे दोनो पक्ष सहमत हो गये।

अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा न. 788 की 1.62 हे0 की भूमि अप्रार्थीया के पति बाबूलाल द्वारा टयूबवेल खुदवाया जाना बताया दोनो अभिभावक की समझाईश पर अप्रार्थी एवं प्रार्थी द्वारा इस बाबत सहमति दी की यदि उक्त टयूबवेल बाद पैमाईश प्रार्थी खरीदशुदा भूमि खसरा न. 788 की 1.62 है के बाहर प्रार्थी की भूमि मे आता है तो अप्रार्थीया टयूबवेल वाली भूमि को जितनी उसको आवश्यकता है बाजार भाव से खरीद सकेगा। प्रार्थी नियमानुसार टयूबवेल की भूमि का बेचान अप्रार्थी के पक्ष मे करेगा।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध आदेश दोनो पक्षकार एवं उनमे अभिभाषक की समझाईश तथा लोक अदालत की भावना को मध्येनजर यह आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार कनवास सम्बधित भू अभिलेख निरिक्षक एवं पटवारी हल्का दोनो पक्षो की उपस्थिती मे अप्रार्थी की खसरा न. 788 की 1.62 है0 एवं प्रार्थी की खसरा न. 790 की 0.51 है0 पैमाईश कर पत्थरगढी कर सीमांकन करेगे। तथा प्रार्थी वीरभान अप्रार्थी गीताबाई पुत्र बाबूलाल को उसके द्वारा कय किये खेत ख.न. 788 की रकबा 1.62 है0 मे आने जाने एवं कृषि आदि कार्य करने हेतु रास्ता उपलब्ध करायेगे। यह न्यायालय यह भी आदेश देता है कि यदि पेमाईश /सीमाज्ञान मे अप्रार्थी गीताबाई का टयूबवेल प्रार्थी की भूमि मे आता है तो अप्रार्थी टयूबवेल वाली भूमि, प्रार्थी से बाजार भाव से खरीद कर सकेगा। तथा नियमानुसार प्रार्थी टयूबवेल की भूमि का बेचान अप्रार्थी के पक्ष मे करेगा। निर्णय सुनाया गया।

दिनांक 24/6/2020

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा